रक्षा संयंत्र उत्पाद
निवेश नीति

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

रक्षा संयंत्र उत्पाद निवेश नीति

भारत शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त रूप में रक्षा उत्पाद निर्माण इकाईयां स्थापित करने की गाईड लाईन तैयार की गयी है। इसी अनुक्रम में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये परियोजना में प्रत्यक्ष प्रवेश की सीमा 49 प्रतिशत की गयी है। इस नीति से रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश की संभावनायें प्रबल होंगी। मध्यप्रदेश में कटनी, इटारसी व जबलपुर में स्थित रक्षा उत्पाद निर्माता, सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक कंपनीयों के संयुक्त उपक्रम/सहायक/विनिर्माण इकाईयों की स्थापना की प्रबल संभावना को देखते हुए राज्य शासन द्वारा इस क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु रू. 500 करोड़ या अधिक निवेश करने वाली रक्षा उत्पाद निर्माण इकाईयों को सुविधायें प्रदान करने हेतु रक्षा संयंत्र उत्पाद निवेश नीति तैयार की गई है। नीति अंतर्गत सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1. शासकीय भूमि आवंटन हेतु विशेष सुविधा :–

1.1 विभाग के अधिपत्य में उपलब्ध लैंड बैंक की अविकसित भूमि का आवंटन रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

1.2 रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाई को 50 एकड़ तक शासकीय अविकसित भूमि कलेक्टर द्वारा तत्समय असिंचित कृषि भूमि हेतु प्रचलित गाइड लाईन के 25 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेगी। विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उक्त सीमा तक भूमि पर प्रचलित प्रब्याजी पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

1.3 रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों इकाईयों को उत्पादन प्रारंभ करने के लिये 5 वर्ष की कालावधि एवं भूमि का पूर्ण उपयोग करने हेतु 10 वर्ष की कालावधि प्रदान की जायेगी।

1.4 रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों को अपनी वेंडर यूनिट को भूमि सबलीज करने की अनुमति दी जायेगी।

1.5 बंद, बीमार एवं अधिग्रहित/बी.आई.एफ.आर./ए.ए.आई.एफ.आर. औद्योगिक इकाईयों का क्रय कर रक्षा उत्पाद निर्माण इकाईयां स्थापित करने पर लीज हस्तांतरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

1.6 रक्षा उत्पाद निर्माण हेतु भूमि आवंटन के पूर्व आवंटी को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवंटित भूमि का उपयोग, आवंटन के उददेश्य से

नहीं किये जाने पर भूमि आवंटन और पट्टा अभिलेख निरस्त किया जा सकेगा तथा आवंटन हेतु जमा कराई गई प्रब्याजी राजसात की जा सकेगी।

2. उद्यम स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन एवं सुविधा :–

2.1 रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों को ट्रायफेक के माध्यम से राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न अनुमतियां सिंगल विण्डो प्रणाली के अंतर्गत एक छत के नीचे उपलब्ध करायी जायेंगी। इस हेतु इकाई विशेष के लिये पृथक इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर/एसकॉर्ट आफीसर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

2.2 रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों की वेण्डर यूनिट जिनका 75 प्रतिशत उत्पाद मदर यूनिट द्वारा क्रय किया जाता है, को मदर यूनिट की भांति वित्तीय सुविधा का पैकेज दिया जायेगा।

3. विशेष अनुदान सुविधा :–

3.1 अविकसित भूमि पर रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों द्वारा मूलभूत अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना, जल अधोसंरचना एवं सड़क अधोसंरचना निर्माण हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम रू. 5 करोड़ की सीमा तक प्रति अधोसंरचना निर्माण हेतु दिया जायेगा।

3.2 किसी बंद, बीमार, अधिग्रहित/बी.आई.एफ.आर./ए.आई.एफ.आर. इकाई को क्रय कर रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों की स्थापना करने पर ऐसी स्थापित इकाईयों को नवीन उद्योगों के समान उपरोक्त सुविधायें एवं उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत घोषित सुविधायें प्रदाय की जायेंगी।

3.3 प्रदेश में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु न्यूनतम रू. 500.00 करोड़ स्थाई पूंजी निवेश वाले ऐसी रक्षा उत्पाद परियोजनाओं को सुविधाओं का निम्नानुसार विशेष पैकेज स्वीकृत किया जायेगाा।

प्रवेश कर मुक्ति– निर्धारित छूट अवधि से 2 वर्ष अतिरिक्त छूट की सुविधा।

उद्योग निवेश संर्वधन सहायता योजना– निर्धारित सामान्य अवधि से 2 वर्ष की अतिरिक्त सुविधा।

विद्युत शुल्क से छूट– निर्धारित छूट अवधि से 2 वर्ष अतिरिक्त छूट की सुविधा।

3.4 रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों को आयातित यंत्र, संयंत्र, मशीनरी के बंदरगाह से उद्योग स्थल तक परिवहन पर आय–व्यय का 50 प्रतिशत परिवर्तन अनुदान अधिकतम रू. 2 करोड़ तक दिया जायेगा। यह अनुदान उत्पादन दिनांक तक किये गये परिवहन पर उपलब्ध होगा।

4. तकनीकी सुविधा / सहायता :–

4.1 रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों को चाहे जाने पर कौशल प्रशिक्षण हेतु एक शासकीय आई.टी.आई. अधोसंरचना संचालन हेतु सौंपी जायेगी।

4.2 रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों द्वारा स्थानीय उद्योगों को भारत शासन रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तकनीक उपलब्ध कराकर वेंडर के रूप में विकसित करने एवं उनसे 50 प्रतिशत उत्पाद क्रय करने पर तकनीक हस्तातरंण व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम 50 लाख तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक / रक्षा मंत्रालय की इकाईयों के साथ संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाइयों की विशेष सुविधा :–

5.1 उपरोक्त वर्णित सुविधाओं का लाभ संयुक्त क्षेत्र की इकाई को भी प्राप्त होगा।

5.2 रू. 1000 करोड़ या अधिक की परियोजनाओं को 100 एकड़ तक भूमि रियायती दर पर प्रदाय की जायेगी।

5.3 रू. 1000 करोड़ या अधिक की परियोजनाओं तक सड़क एवं विद्युत अधोसंरचना निर्मित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

5.4 संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को राज्य के अंदर लिखतों व भूमि की रजिस्ट्री आदि पर स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6. उपरोक्त नीति के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त, राज्य शासन की उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत भी पात्रतानुसार अन्य अनुदान सुविधायें, रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों को प्राप्त होंगी चाहे वे लघु, मध्यम अथवा वृहद किसी भी श्रेणी में हो।

संपर्क :

दूरभाष : 0755–4270246, फैक्स : 0755–4203106

ई मेल : md@mptrifac.org

वेबसाइट : www.mptrifac.org

मध्यप्रदेश माध्यम/2014
Website : www.mpmadhyam.in